

स्वायत्त जिला कलक्टर दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सु.नं. 26/2020 प्रांतीय स्थानांतरण हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान- गोपाल बनाम रामोदर वगैरे</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए</p>
<p>29/4/22</p>	<p>आज पीठारीन अधिकारी महोदय अवरकारा अन्य कार्य में चर. होने के वत आदेशों की पालन पत्रावली नियत नं. 4-5-22 को देखा</p>	<p>29/4/22</p>
<p>4-5-22</p>	<p>आधिकारिता प्राचीनगत उपस्थित आधिकारिता प्राचीनगत डाय निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठारीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह जो द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है। इसलिये प्राचीन पत्र स्थानांतरण में आगे चलाया जाना उचित नहीं है, प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज करमाया जाय। पत्रावली का आलोचन किया गया आधिकारिता प्राचीनगत के मयन पर भनन किया गया। पत्रावली में सेलान उपखण्ड अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में विचारार्थ प्रकरण उनका श्री गोपाल बनाम रामोदर में दिनांक 23-12-2020 की निर्णय पारित किया जा चुका है। तत्कालीन पीठारीन आधिकारी श्री रणजीत सिंह जो द्वारा का स्थानांतरण हो चुका है। एतिसिद्धि में प्रकरण पत्र स्थानांतरण का आगे चलाया जाय का अनिचित नहीं है अतः प्राचीनगत गोपाल निवेदन पुत्रान काना जाति माली विवाही जीजगद व दलील सिकराय डाय प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाय। निर्णय की जाति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का निपवाई जाय। पत्रावली फ़ैसल शम्भार की जाकर नंबर 4 में हो एवं बाउ पूर्ति प्रविष्ट लेख शंभार की जाति निर्णय आज दिनांक 4-5-2022 के मरे डाय न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>4-5-22</p>



(आर. के. मीना)
अति. जिला कलक्टर
दौसा